Registration of OBO candidates in Enjoyment Exchanges in Delhi

6328. SHRI GHUFRAN AZAM:

SHRI JANARDAN YADAV:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Director General Employment and Training has not issued instructions to the Employment Exchanges, functioning in Delhi/New Delhi for registration of the candidates belonging to Other Backward Classes in civil posts and services under Government of India;

(b) if so, why the concerned Sub-Regional Employment Officers are taking plea that Government instructions on this issue are still awaited;

(c) the action contemplated in the matter; and

(d) how many vacancies in Group 'D' post of OBC are lying pending in Curzon Road Sub-Regional Employment Exchange, Delhi which belong to Central Gov-vemment departments?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) As per instructions to all the employment exchanges, all citizens of India resident in the country are eligible for registration at the employment exchanges for employment assistance.

(b) and (c) Does not arise. (d)

48 vacancies.

बीड़ी मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधायें

6329. मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ी मजदूरों को अपर्याप्त चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं और उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में बीड़ी मजदूरों की आवास समस्या को हल करने में अभी तक भी वांछित प्रगति नहीं हो पायी है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उत्तर प्रदेश में बीड़ी मजदूरों की समस्याओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :(क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) से (ङ) बीड़ी कमकारों के लिए अपना मकान स्वंय बनाओं योजना (बी.वाई.ओ.एच.) के अंतर्गत मकान बनाने के लिए बीड़ी कर्मकारों की बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि स 1000/–रु. की आर्थिक सहायता तथा 6000/–रु. ब्याज मुक्त ऋण की अदायगी की जाती है । पात्रता के लिए शर्त यह है कि बीड़ी कर्मकार के पास वैयक्तिक रूप से अपने परिवार के साथ संयुक्त रुप से अपने मालिकाना हक वाली 60 वग गज भूमि का कब्जा होना चाहिए । अब आर्थिक सहायता के संघटक तथा ब्याज मुक्त ऋण को बढ़ाकर क्रमश: 3 000/– रु. तथा 10,000/– रु. किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

आर्थिक रुप मे कमजोर वर्गो (ई डब्ल्यु०एस.) के लिए आवास योजना के अंतगत जिन मामलों में राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों द्वारा भूमि आबंटित की जाती है उनमें बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से 5,000/– रु. की आर्थिक सहायता अथवा वास्तविक व्यय का 50% जो भी कम हो, जमा साधारण/काली कपास अथवा उभरी मिट्टी के लिए 800/–रु. 1,000/ रु. की दर से भूमि विकास प्रभार का भुगतान किया जाता है । अब कुल मिलाकर 9,000/– रु. अथवा वास्तविक व्यय का 50% जो भी कम हो, का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है ।